राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिह तोमर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 111/019 आर सी एम सए नं0 2019/00135 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :—प्रार्थी

बनाम

1 अज्जू पुत्र अमरू
2 नईमुद्दीन पुत्र अमरू
3 हफीज पुत्र अमरू
4 शरीफ पुत्र अमरू
5 नन्नी पत्नि अमरू
6 टिन्चू पुत्र रमजू
7 बुद्धो वेवा रमजू
समस्त जातियान भिश्ती निवासीयान विशनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
8 बैंक ऑफ बडौदा शाखा बौल जिला करौली

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः— 1 श्री राधेश्याम शर्मा वकील अप्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय **दिनांकः**— 19.12.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 444,459 कुल किता 2 कुल रकवा 0.73 है0 ग्राम विशनपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 254 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन तलाई के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2024 से 27 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नियमन होकर बल्लू,अमरू पिसरा घुडया जाति भिस्ती के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 254 का नवीन खसरा नम्बर 444,459 कुल किता 2 कुल रकवा 0.73 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 444,459 कुल किता 2 कुल रकवा 0.73 है0 वाके ग्राम विशनपुरा को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन तलाई को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी,मिसल जमाबंदी सम्बत 2024 से 27 मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी संम्बंत 2071 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसमे अप्रार्थी जरिये वकालान्तन उपस्थित आया ओर जवाव प्रार्थनापत्र पेश कर बताया गया है कि यह भूमि नाले की कभी नही रही है यदि भूमि नाले की होती तो अपने पिता अमरू को कभी भी नियमन नही होती भूमि पर 1965 से यानी 55 साल से कब्जा कास्त चला आ रहा है खातेदारी होने के

पश्चात रेफरेन्स चलने योग्य नही है। प्रार्थी द्वारा विना जॉच किये ही यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया जिसे खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमे भूमि गैर मु. तलाई थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने अपने बहस कथन मे कहा गया कि भूमि कभी नाले की नही रही है यदि भूमि नाले की होती तो प्रार्थी के बुर्जुगान को नियमन नही होती। साथ ही रूलिंग तोर पर 2019 (1) डी.एन.जें (राज0) पेज संख्या 265 में प्रदापित किया है कि धारा 82 रेफरेन्स 44 वर्ष वाद पेश किया गया है जो अवधि वहार है विलम्ब का यूक्तियुक्त नही कहा जा सकता भूमि पर खातेदार का 55 साल से कास्त हो रही है ओर भूमि समतल है रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बंत 2024 से 27 एवं सम्बंत 2009 से 11 के खाता संख्या 1 मे आराजी खसरा 254 रकवा 2 वीघा 18 विस्वा किस्म से गै0 मु0 तलाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है नियमन से अप्रार्थीयान के पिता अमरू आदि के नाम 2 वीघा 18 विस्वा भूमि नियमन से खातेदारी में मे दर्ज हो गई है जिसके भू प्रवंध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नं .444,459 कुल किता 2 कुल रकवा 0.73 है0 अब वर्तमान में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। भूमि जमाबंदी में जिम्मन नं. 1 में जल मग्न होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील, तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। जहा पर वकील अपीलान्ट ने न्यायीक द्वष्टांक पेश किये गये है उसमें यह है कि यह भूमि जल मग्न की होने पर आंटन/नियमन से प्रतिबंदित है। जिसे किसी खातेदारी नही दी जा सकती है धारा 82 में समय सीमा का कोई प्रतिबंदित नही है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 444,459 कुल किता 2 कुल रकवा 0.73 है0 ग्राम विशनपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2024 से 2027 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन तलाई दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.01.21 15:50:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: